UPSI010068632023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू) सीतापुर

सत्र परीक्षण सॅख्या–1466/2023
राज्य बनाम मो0 आसिफ
मुकदमा अपराध सॅख्या–199/2022
अन्तर्गत धारा–363, 366,भारतीय दण्ड संहिता
थाना–बिसवां, जिला–सीतापुर।

आरोप

मैं, नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (ओ0ए0डब्लू) सीतापुर आप अभियुक्त मो0 आसिफ को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅ:–

1–यह कि दिनॉक–25.04.2022 को समय–22:00 बजे, बहद स्थान–चीड़ीमारी टोला, थाना–बिसवां, जिला–सीतापुर सीमाक्षेत्र में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की लड़की अपहृता/पीड़िता उम्र–16 वर्ष को उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से उनकी सम्मति के बिना बहला फुसलाकर व्यपहरण किया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया जो धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है ।

2–यह कि उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की लड़की अपहृता/पीड़िता उपरोक्त को यह जानते हुए कि उसे अयुक्त सम्भोग करने के लिये विवश किया जायेगा, व्यपहृत किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया, जो धारा–366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अस्तु एतदद्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के लिए आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
(JO CODE : UP02696)
दिनॉक–20.09.2023 अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू)
सीतापुर

आरोप अभियुक्त को पढकर खुले न्यायालय में सुनाये और समझाये गये। अभियुक्त ने उक्त विरचित आरोपों से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
(JO CODE : UP02696)
दिनॉक–20.09.2023 अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू)
सीतापुर

उदित/–

Digitally signed by Narendra Nath Tripathi
Date: 2023.09.20 15:14:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur